न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी जिला जोधपुर
बइजलास–यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद सं. 180 / 2016

वादी — बनाम — प्रतिवादीगण

1. बीरबलराम पुत्र खानूराम
जाति विश्नोई
निवासी सांवरीज तहसील फलौदी

1. रुगा पुत्र जसोतराम
2. हीरा पुत्र जसोताराम
3. अजुर्नराम पुत्र भरमलराम
4. सोनाराम पुत्र भरमलराम
5. खींयाराम पुत्र भरमलराम
6. खींयाराम पुत्र भरमलराम
7. प्रकाश पुत्र भरमलराम
सभी जाति विश्नोई निवासी सांवरीज
8. इमरती पुत्री भरमलराम पत्नि बाबूराम
जाति विश्नोई निवासी नेवा कानासर
तहसील बाप
9. जसोंदा पत्नि जीवराज
10. भगवानाराम पुत्र जीवराज
11. बचनाराम पुत्र जीवराज
12. पपुराम पुत्र जीवराज
13. भागीरथराम पुत्र जीवराज
14. सहीराम पुत्र जीवराज
15. हडमानराम पुत्र जीवराज
16. शैतानाराम पुत्र जीवराज
17. मेगराज पुत्र कुशलाराम
सभी जाति विश्नोई निवासी सांवरीज
तहसील फलौदी
18. शाखा प्रबंधक थार आंचलिक ग्रामीण बैक
शाखा सांवरीज
19. शाखा प्रबंधक ओ.बी.सी. बैक शाखा खीचन
20. शाखा प्रबंधक एस बी बी जे बैक शाखा
फलौदी
21. राजस्थान सरका जरीये तहसीलदा फलौदी

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–
1. श्री प्रवीण मदेरणा वादी की तरफ से

निर्णय

वादी के वाद का सारांश इस प्रकार है कि ग्राम सांवरीज के के खेत खसरा संख्या 243 रकबा 201.08 बीघा भूमि हणूता बेटा सिमरथा के नाम से वक्ट सेटलमेंट खातेदारी में दर्ज थी। वक्त सेटलमेंट खातेदारी में दर्ज थी। वक्त सेटलमेंट 1999 एवं 2012 में खातेदारी में दर्ज हुई। उपरोक्त खसरा की भूमि में से 50 बिघा भूमि का विक्रय कर दिया शेष भूमि वादी के नाम से खसरा संख्या 243 रकबा 151.08 बिघा भूमि वादी अकेले के नाम से दर्ज है। खानुराम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.16 16:10:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

देहांत के बाद परिवार के सभी सदस्यों ने वादी के पक्ष में अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग करने से उक्त भूमि वादी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई।

खसरा संख्या 244 की भूमि रकबा 143.19 बीघा भूमि मंगनाँ बेटा लाखा से के नाम से खातेदारी में मंगना पुत्र लाखा से के नाम से खातेदारी में थी मंगना पुत्र लाखा ने जरिये बेचान नामान्तरकरण संख्या 67 के दिनांक 30.05.1956 को उक्त भूमि प्रतिवादीगण के पूर्व वंशज के नाम से कर दी तब से खसरा संख्या 244 रकबा 143.19 बिघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 ता 17 के नाम से खातेदारी में दर्ज है।

खसरा संख्या 243 रकबा 201.08 बिघा भूमि राजस्व रेकर्ड में ए ई एफ जी एच आई बी हिस्सा अनुसार वादी का कब्जा आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है तथा राजस्व रेकर्ड नक्शा में मार्क ए ई एफ जी भूमि पर भूलवंश खसरा संख्या 244 अंकन हो गया है जबकि उक्त भूमि खसरा संख्या 243 का ही भाग है। उक्त भू भाग पर वादी का कब्जा काश्त वक्त सेटलमेंट से पूर्व से ही आज दिन तक चला आ रहा है। इसलिये उक्त भूमि पर वादी को राजस्व रेकर्ड नक्शा में मिसल बंदोबस्त के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें जिसका यह वाद पेश है। वादीगण का खेत खसरा संख्या 243 का कुल रकबा 201.08 बिघा भूमि थी उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड नक्शा में 162 बीघा भूमि दर्ज है उक्त भूमि के पास में राजस्व रेकर्ड नक्शा में वक्त सेटलमेंट खसरा नम्बर 243 की शेष 39 बिघा भूमि का खसरा अलग से दर्ज हो गया और उसके नम्बर 244 दर्ज हो गये जो गलत है। ग्राम सावरीज के खसरा नम्बर 244 का अंकन राजस्व रेकर्ड में नक्शा में है और उसका रकबा राजस्व रेकर्ड नक्शा में अंकित मार्क ए बी सी डी में दर्शाये खसरे का रकबा 143.19 ही था इसलिये राजस्व रेकर्ड नक्शा में मार्क ए ई एफ जी नक्शे का भाग खसरा नम्बर 243 का ही भाग है परन्तु राजस्व कर्मचारियों की त्रुटीवंश अलग खसरा नम्बर 244 राजस्व रेकर्ड में दो बार अंकन कर दिया जब कि वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए ई एफ जी खसरा नम्बर 243 का ही भाग है इसलिये राजस्व रेकर्ड नक्शा में मार्क ए ई एफ जी की भूमि का रेकर्ड शुद्धि किया जाकर खसरा नम्बर 244 के स्थान पर खसरा नंबर 243 अंकित किया जावें। जिसका यह रेकर्ड शुद्धि वाद पेश है। एव खसरा नम्बर 243 के नक्शा ए ई एफ जी एच आई बी का कुल रकबा 201.18 बिघा भूमि का वादी के खसरे की भूमि के रुप में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया गया प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 02,04,07, 10 ता 12, 14, 17 की ओर से वकील श्री रेंवतसिह पातावत ने अपना वकालतनामा पेश किया जिन्होने वाद में नो इन्ट्रक्शन प्लीड कर दिया तथा शेष की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

तहसीलदार फलौदी से रिपोर्ट मंगवायी गयी तहसीलदार फलौदी ने अपनी रिपोर्ट में बताया की प्रार्थी द्वार प्रस्तुत नजरी नक्शा में ए बी सी डी खसरा संख्या 244 का रकबा जमाबंदी अनुसार 143.19 बिघा दर्ज है जबकि संलग्न भेजे गये नक्शा अनुसार ए बी सी डी व ए जी एफ ई का रकबा क्रमशः 149.11 बिघा व 41.12 बिघा कुल रकबा 191.03 बिघा होता है इसी प्रकार से चित्र संख्या संख्या ए बी आई एच जी खसरा संख्या 243 का रकबा 150.15 बिघा होता है जबकि जमाबंदी के अनुसार इस खसरे का क्षेत्रफल 201.08 बीघा है। खसरा संख्या 243 वर्तमान में 243 रकबा 151.08 व 243/1 रकबा 50.00 बीघा दो टुकडों में विभक्त है। चित्र संख्या ए बी आई एच जी का क्षेत्रफल जमाबंदी अनुसार 201.08 बीघा होना चाहीए लेकिन नक्शा अनुसार यह क्षेत्रफल 150.15 बीघा ही है।

अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के समर्थन में बीरबलराम के बयान कलमबद्व किये तथा प्रदर्श दर्ज करवायें।अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए बताया की ग्राम सांवरीज पटवार क्षेत्र सांवरीज के खेत खसरा संख्या 243 रकबा 201.08 बिघा भूमि के राजस्व रेकर्ड नक्शा को दुरुस्त किया जाकर वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में मार्क ए ई एफ जी हिस्से की भूमि को खसरा नम्बर 243 की भूमि घोषित करते हुवें राजस्व रेकर्ड नक्शा में अंकन दुरुस्त किये जाने का आदेश फरमावें तथा वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क खसरा नम्बर 243 के नक्शा ए ई एफ जी आई बी का कुल रकबा 201.08 बीघा भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावें। वादी अधिवक्ता की वाद पर बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार फलौदी से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया बाद अवलोकन वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.16 18:40:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम सांवरीज के खेत खसरा संख्या 244 नजरी नक्शा में मार्क ए ई एफ जी को राजस्व रेकर्ड नक्शा में खसरा संख्या 244 के स्थान पर 243 घोषित किया जाता है। राजस्व रेकर्ड नक्शा में संलग्न नक्शा इएक्स 10 के अनुसार ए बी आई एच जी एफ ई को खसरा संख्या 243 किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरुस्त किया जाने का आदेश तहसीलदार फलौदी को दिया जाता है। नजरी नक्शा इएक्स 10 निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार फलौदी माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अंकन कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें। निर्णय माफिक डिक्री पर्चा अलग से मूर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/08/2020 को सरे इजलास सुनाया गया

(यशपाल आहूजा आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर,
फलौदी

सहायक कलक्टर फलौदी (जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.16 18:20:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner